<u>न्यायालय :— पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड,म.प्र.</u> (आप.प्रक.क. : 1264/2015)

(संस्थित दिनांक : 16 / 12 / 2015)

म.प्र. राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र :– मौ जिला–भिण्ड., म.प्र.

.....अभियोजन ।

// विरूद्ध //

01. इन्द्रपाल सिंह गुर्जर पुत्र सिरोमन सिंह गुर्जर उम्र 36 वर्ष निवासी: — ग्राम बघावली, थाना—डी.पार, जिला—दितया, (म.प्र.)।

..... अभुयक्त।

<u>// निर्णय//</u>

(आज दिनांक : 05/12/2016 को घोषित)

- 01. आरोपी इन्द्रपाल पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा :— 279 एवं 337 के अन्तर्गत आरोप है कि आरोपी ने दिनांक : 17/10/2015 की दोपहर लगभग 03:30 बजे राकेश जोशी के घर के पास गोहद—मौ रोड़ झॉकरी पर, उसके आधिपत्य के वाहन महिन्द्रा ट्रेक्टर कमांक एम.पी.30/ए.ए./6368 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर फरियादी सुरेश शर्मा को टक्कर मारकर उसे उपहित कारित की।
- 02. प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाना सारवान निर्विवादित एक तथ्य है।
- 03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :— 17/10/2015 की दोपहर लगभग 03:30 बजे राकेश जोशी के घर के पास गोहद—मौ रोड़ झॉकरी पर, अज्ञात ट्रेक्टर के चालक द्वारा उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर फरियादी सुरेश की कार फोर्ड फीगो क्रमांक एम.पी.07/सी.सी./7112 में टक्कर मारकर उसे उपहित कारित करने की मौखिक रिपोर्ट उसी दिनांक को फरियादी सुरेश शर्मा द्वारा थाना मौ पर की जाने पर, थाना मौ में अज्ञात ट्रेक्टर के चालक के विरूद्ध अपराध क्रमांक 237/15 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। दुर्घटना में फरियादी सुरेश की कार फोर्ड फीगो क्रमांक एम.पी.07/सी.सी./7112 क्षतिग्रस्त होने के कारण आरोपी के विरूद्ध धारा 427 भा.द.सं. का इजाफा किया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा—मौका बनाया गया। वाहन महिन्द्रा ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.30/ए.ए./6368 को जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। आरोपी इन्द्रपाल को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। जब्तशुदा वाहन का यांत्रिक परीक्षण कराया गया। फरियादी सुरेश कुमार, साक्षी संजीव जैन एवं रिवकान्त के कथन लेखबद्ध किए गये। तदोपंरात विवेचनापूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्त इन्द्रपाल के विरूद्ध धारा 279 एवं 337 भा.द.सं. के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझायें जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया। आरोपी एवं फरियादी के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्त को धारा 337 भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है तथा आरोप तर्क के पश्चात् आरोपी को धारा 427 भा.द.सं. के आरोप से उन्मोचित किया जा चुका है।

- 05. न्यायिक विनिश्चय हेत् प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :--
- 01. क्या आरोपी इन्द्रपाल ने दिनांक :- 17/10/2015 की दोपहर लगभग 03:30 बजे राकेश जोशी के घर के पास गोहद—मौ रोड़ झॉकरी पर, उसके आधिपत्य के वाहन महिन्द्रा ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.30/ए.ए./6368 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मानवजीवन संकटापन्न किया?
 - 02. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

फरियादी स्रेश कुमार शर्मा अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी इन्द्रपाल को नहीं जानता। साक्षी आगे कहता है कि उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक 15/11/2016 से पिछले वर्ष अक्टूबर माह में एक अज्ञात ट्रेक्टर से उसका एक्सीडेंट हो गया था। जिस वावत् उसने थाने में सूचना दी थी, तब थानें वालों ने उससे हस्ताक्षर कराये थे, रिपोर्ट प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने रिपोर्ट को पढकर नहीं देखा था। नक्शा–मौका प्र. पी.02 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर फरियादी सुरेश कुमार शर्मा अ.सा.01 ने आरोपी इन्द्रपाल द्वारा दिनांक 17/10/2015 की दोपहर लगभग 03:30 बजे राकेश जोशी के घर के पास गोहद—मौ रोड़ झॉकरी पर, उसके आधिपत्य के वाहन महिन्द्रा ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.30 / ए.ए. / 6368 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मानवजीवन संकटापन्न करने का तथ्य नहीं बताया हैं। इस वावत् फरियादी स्रेश कुमार शर्मा अ.सा.०१ की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके द्व ारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 के तथ्यों के मध्य अज्ञात ट्रेक्टर चालक द्वारा उक्त ट्रेक्टर उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाये जाने के संबंध में ऐसे लोप है, जो विरोधाभाष की प्रकृति के है। सुरेश अ.सा.०१ के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं ह्ये, जो आरोपी इन्द्रपाल की घटना में संलिप्तता होना दर्शित करते हो।

- 07. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपी इन्द्रपाल ने दिनांक :— 17/10/2015 की दोपहर लगभग 03:30 बजे राकेश जोशी के घर के पास गोहद—मौ रोड़ झॉकरी पर, उसके आधिपत्य के वाहन महिन्द्रा ट्रेक्टर कमांक एम.पी.30/ए.ए./6368 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मानवजीवन संकटापन्न किया।
- 08. अभियोजन आरोपी के विरूद्ध धारा 279 भा.द.सं का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्त इन्द्रपाल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 भा.दं.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।
- 09. अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।
- 10. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन महिन्द्रा ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.30 / ए.ए. / 6368 उसके पंजीकृत स्वामी रामचित्र के पास सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगी नामा उन्मोचित किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित। एवं दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया

(पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद (पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद